कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री हिक्स थर्मोमीटर्स इण्डिया लि0, ए-12 / 13, इण्डस्ट्रियल स्टेट, अलीगढ़।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**032 /2015, 23.11.2015**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री हिक्स थर्मोमीटर्स इण्डिया लि0, ए-12 / 13, इण्डस्ट्रियल स्टेट, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.11.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

Whether The Digital weighing scale falls in the entry No. 79 of Schedule-II-A annexed to U.P.Vat Act and is taxable at the rate of 4%

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 08.11.2016 के लिए नोटिस भेजी गयी। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ के पत्र संख्या-2337, दिनांक 11.12.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि यह एक Digital Weighing Scale है जिसका प्रयोग वजन तौलन के लिया किया जाता है। यह वस्तु किसी प्रकार से मेडिकल इक्यूपमेन्ट की श्रेणी में नहीं आतीी है तथा इसका प्रयोग चिकित्सकों के साथ-साथ जन-सामान्य द्वारा भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-79 पर विज्ञापित वस्तुएं निम्न प्रकार हैं :-

Medical equipment / devices & implants; I.B. Canula, Scalp Vanset, Surgical Blade, Blood collection tube; Contact lens, spectacle frame, lenses, spectacles excluding sun goggles and sun glasses

इस प्रकार उक्त वस्तु को अनुसूची-II, पार्ट-ए की वस्तु माना जाना उचित नहीं होगा बल्कि इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि Digital weighing scale का प्रयोग भार नापने के लिए किया जाता है तथा भार नापने का उद्देश्य व कारण भिन्न हो सकते हैं। सर्वश्री कमिश्नर व्यापार कर बनाम Rama Industries, (2004) 40 STR 737 (All.) व Ravi Engg. Co. बनाम कमिश्नर STI 1978 All. HC 155, 1979 UPTC 342 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा weighing scale को मशीनरी माना गया है। धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-213 / 08 में सर्वश्री दुर्गा प्रोविजन स्टोर, सहारनपुर के मामले में तत्कालीन कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.07.2008 द्वारा भार मापक मशीन को मशीनरी की श्रेणी में माना गया है तथा मशीनरी अवर्गीकृत है तथा इस पर 12.5% की दर से करदेयता होनी

....2

<u>सर्वश्री हिक्स थर्मोमीटर्स इण्डिया लि0 / प्रा0 पत्र सं0-032 / 15 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

चाहिए एवं प्रार्थना-पत्र संख्या-25 / 10 में सर्वश्री यूनिवर्सल सर्जिकल सप्लायर्स, ए-12, तालकटोरा इण्डस्ट्रियल स्टेट, लखनऊ के मामले में भी Baby weighing scales को मशीनरी के अन्तर्गत मानते हुए अवर्गीकृत की भाँति 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर,अलीगढ़ जोन अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। Digital weighing scale को Medical Equipment / Devices की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तथा उपरोक्त वर्णित धारा-59 का निर्णय प्रस्तुत मामले में भी प्रभावी रहेगी। Digital weighing scale मशीनरी के अन्तर्गत आता है एवं मशीनरी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III व IV में वर्गीकृत नहीं है। अत: Digital weighing scale पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5 + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 नवम्बर, 2016

ह0 /- 24.11.2016
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।